फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 79 प्रभात जयपुर, सोमवार 19 अक्टूबर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

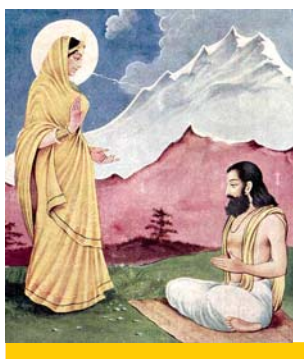

Lopamudra Taught That Spirituality Must...

For many autumns have I been laboring, evening and morning, through the aging dawns. Old Age diminishes the beauty of bodies. Bullish men should now come to their wives

An Indian Heritage Tree with African Roots

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर दिन दहाड़े जुहू में हमला

पुष्पा पार्क के पास तीन अज्ञात लोगों की फायरिंग में टाइगर बाल-बाल बचे

मुंबई, 18 अक्टूबर। रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ पर 3 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की। इस हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर सहित 2 लोग घायल हो गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फुटबॉल खेलकर लौटते वक्त टाइगर की कार जुहू के पुष्पा पार्क के पास रुकी। यहां उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात लोग वहां पहुंचे और इलाके में गोलीबारी शुरू कर दी।

हमले के बाद एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान के साथ काम करने वाले का यही अंजाम होगा।

मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित और हरमन संधू ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है, हमने इसे समझाया था, इसको समझ नहीं आया। आज हमने इसको सही से समझा दिया है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो हमारी बात नहीं सुनेगा, या सलमान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसी का होगा।

पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि लॉरेंस गैंग ने ही यह हमला किया है।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमले के दोषियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। किसी को बख्शेंगे नहीं।

हमले के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की बाइक का नंबर और उनकी पहचान की जा सके। चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

मुंबई डीसीपी मोहित गर्ग ने कहा कि हमले में टाइगर के ड्राइवर के हाथ में गोली लगी है। टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं। हमले की वजह सामने नहीं आई है। घटना की जांच के लिए 15 टीमों का गठन किया गया है।

- **लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित व हरमन संधू ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट में अनिल पंडित ने कहा कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा, सलमान के साथ काम करेगा, अगला नम्बर उसका होगा।**

लेह में उच्च न्यायालय की लद्दाख बेंच का उद्घाटन

लेह, 18 अक्टूबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि जस्टिस सूर्य कांत ने रविवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की लद्दाख बेंच का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लेह और करगिल के वकील जल्द ही इस बेंच के जरिये सुप्रीम कोर्ट तक वर्चुअल तरीके से पहुंच सकेंगे। लद्दाख से जुड़े सभी मामलों को एक ही दिन सूचीबद्ध किया जाएगा और उनकी सुनवाई वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।

इस व्यवस्था से वकीलों और मुवक्किलों को दिल्ली तक की यात्रा में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **जस्टिस सूर्यकांत ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि लेह व कारगिल के वकील इस बैंच के जरिए वर्चुअल तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकेंगे।**

पाकिस्तान में 200 साल पुराने मंदिर को व्यवसायिक प्लाजा बनाने का विरोध

नागरिक समाज व हिंदू समुदाय के सदस्यों ने मौके पर पहुँचकर तोड़फोड़ के काम को रोका

पेशावर, 18 अक्टूबर। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के सदस्यों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद करीब 200 साल पुराने हिंदू मंदिर को सील कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, ऐतिहासिक रामलीला मंदिर को व्यावसायिक प्लाजा बनाने के लिए गिराने की कोशिश की गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में स्थित रामलीला मंदिर को स्थानीय प्रशासन ने शनिवार को अपने कब्जे में लिया और इसके बाद इवेक्यू ट्रस्ट प्रापर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) ने उसे सील कर दिया।

इस सप्ताह की शुरुआत में डेरा इस्माइल खान शहर के बीचोंबीच स्थित रहीम बाजार में स्थानीय निवासियों ने मौके पर पहुंचकर तोड़फोड़ का काम रुकवा दिया था।

डेरा सिविल सोसायटी और स्थानीय व्यापारी संघ के अध्यक्ष सोहेल अहमद आजमी ने कहा कि उन्हें मंदिर की इमारत गिराने की कोशिश किए जाने की जानकारी मिली तो वह अन्य निवासियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसे तोड़फोड़ का ठेका दिया गया है।

नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और हिंदू समुदाय के सदस्यों ने प्रस्तावित तोड़फोड़ का विरोध करने और संपत्ति के मालिकाना हक तथा वहां किसी भी व्यावसायिक निर्माण की वैधता की जांच की मांग करने के लिए बैठक की।

उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यह मुद्दा उठाने की अपील भी की। यह मंदिर डेरा इस्माइल खान की उन करीब 400

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **यह मंदिर डेरा इस्माइल खान की उन 400 इमारतों में शामिल है, जिन्हें इवैक्यू ट्रस्ट प्रापर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) ने सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिह्नित किया है।**

सेना के अधिकारी की पत्नी पर जासूसी का आरोप, एफआईआर दर्ज

महिला पर संवेदनशील जानकारी जुटाने व उसे विदेशी खुफिया एजेंटों के साथ साझा करने का आरोप है

जम्मू, 18 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना के एक अधिकारी की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर संवेदनशील जानकारी जुटाने और उसे विदेशी खुफिया एजेंटों के साथ साझा करने का आरोप है। इन एजेंटों में चीन से जुड़े लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, आरोपी महिला कुछ शोध-संबंधी गतिविधियों में शामिल थी। पुलिस इन गतिविधियों की जांच कर रही है। पुलिस उसकी गतिविधियों की प्रकृति का भी पता लगा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि क्या कोई जानकारी या सामग्री विदेशी खुफिया एजेंटों को दी गई थी। शुक्रवार को गांधी नगर पुलिस स्टेशन में यह मामला सरकारी गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज हुआ है। आरोपी महिला तेलंगाना की रहने वाली है। वह फिलहाल अपने पति के साथ जम्मू में रहती है।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, जांच के हिस्से के रूप में पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी ने महिला से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि आरोपी महिला को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। शुरुआती जांच में अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि उसने कोई संवेदनशील जानकारी साझा की है। जांचकर्ता उन परिस्थितियों की भी पड़ताल कर रहे हैं जिनके कारण प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है।

विदेशी संस्थाओं के साथ संभावित संबंधों के आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि क्या महिला के संबंध वास्तव में विदेशी खुफिया एजेंटों से थे।

- **पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला तेलंगाना की रहने वाली है और फिलहाल अपने पति के साथ जम्मू में रहती है।**

कांग्रेस चुनाव आयोग के मुद्दे पर गाँवों में चौपाल लगाएगी

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस अब अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दे रही है। एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित इंडिया ब्लॉक की रैली से पहले कांग्रेस के नियमित प्रदर्शनों को विराम दिया जा सकता है। पार्टी अब संगठनात्मक गतिविधियां तेज करने और गांव-गांव तक पहुंच बनाने पर जोर दे रही है। हालांकि, कांग्रेस के छात्र संगठन और यूथ कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शनों के जारी रहने की संभावना है।

कांग्रेस अब सड़कों पर लगातार प्रदर्शन करने के बजाय मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को गांवों और बूथ स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के जरिए चौपाल लगाने, लोगों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **एक नवम्बर की इंडिया ब्लॉक की रैली से पहले गाँवों और बूथ स्तर पर जोर दिया जाएगा।**

धान से भरे अनियंत्रित ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचला, 15 की मौत

ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास हुए इस हादसे में 26 घायल भी हुए

ग्वालियर, 18 अक्टूबर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात चीनौर रोड पर ढ लान के पास अनियंत्रित हुए धान से भरे एक ट्रक ने सड़क किनारे मौजूद श्रद्धालुओं और दुकानों को कुचल दिया। इसके बाद ट्रक मंदिर के प्रवेश द्वार और बाहरी दीवार से जा टकराया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घायलों में दो पुलिसकर्मी भी हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत-बचाव कार्य में जुट गईं। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था।

ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि यह बेहद दुखद हादसा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीतला माता मंदिर जा रहे थे। छिनोर की तरफ से आने वाली सड़क पर ढ लान काफी तेज है और इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक है। एसएसपी के मुताबिक, रात करीब डेढ़ बजे धान से भरा ट्रक वहां रोका गया था। रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे, लेकिन ट्रक बैरिकेड तोड़कर आगे निकल गया। इसके बाद चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। ट्रक ढ लान से नीचे आया और मंदिर की बाहरी दीवार तथा प्रवेश द्वार से टकरा गया और सड़क पर मौजूद श्रद्धालु ट्रक के नीचे कुचल गए।

एसएसपी ने बताया कि हादसे के समय मौके पर ड्यूटी कर रहे दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दोनों का इलाज चल रहा है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के अस्पताल में मृतकों और घायलों के परिजनों से मुलाकात की।

सिंधिया ने कहा कि रात के अंधेरे में ट्रक को प्रवेश कैसे मिला। ट्रक ग्वालियर तक कैसे पहुंचा, इसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा- श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। इस दुःख की घड़ी में सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ है। सभी घायलों का निशुल्क इलाज किया जाएगा।

- **ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि रात को 1.30 बजे धान से भरे ट्रक को रोका गया था, पर ट्रक बैरिकेड तोड़कर आगे निकल गया। ढलान पर ट्रक अनियंत्रित हो गया तथा श्रद्धालुओं को रौंदता हुआ मंदिर की दीवार से टकराया।**

महाराष्ट्र में बस-कार भिड़न्त में 5 की मौत

मुंबई, 18 अक्टूबर। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में रविवार दोपहर एसटी बस और कार के बीच हुई टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसा माजलगांव तहसील में खामगांव-पंढरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। माजलगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन की टीम मामले की जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, माजलगांव निवासी गजानन रामदास के परिवार के छह लोग कार से तुलजापुर दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रविवार को नहीं हो सकी सीजेपी नेताओं की रिहाई

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई रविवार देर शाम तक नहीं हो सकी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया है कि दोनों की गिरफ्तारी को अवैध तरीके से जारी रखने के लिए सुनवाई की प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि दोनों को जेल में रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जबकि उन्हें हिरासत में रखने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।

वहीं, सीजेपी की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने दावा किया कि रिहाई से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) ने मामले के गुण-दोष पर सुनवाई नहीं की।

दिपके ने आरोप लगाया कि प्रशासन अदालत की कार्यवाही में देरी करके सौरव और आशुतोष की रिहाई रोकने की कोशिश कर रहा है।

- **दीपके ने आरोप लगाया कि आशुतोष रांका व सौरव दास की सुनवाई प्रक्रिया में जानबूझ कर देरी की जा रही है।**

''सिविल रिट'' पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महिला को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश किये

न्यायाधीश रवि चिरानिया ने ''सिविल रिट'' याचिका में आपराधिक मामले की तर्ज पर याचिकाकर्ता को राहत दी

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 18 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट में ''रिट'' याचिकाओं को दीवानी मुकदमा (सिविल पिटिशन) या आपराधिक मामले (क्रिमिनल केस) में बाँटने की प्रथा को पूर्ववर्ती कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा ने बड़े ही विवादित फैसलों से खत्म कर दिया था। जैसा कि विदित है कि इनमें से एक मामला 'मेघराज सिंह बनाम डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समैंट' का हवाला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत को भी अपने शिकायती पत्रों में दिया था। परंतु ''रिट'' याचिकाओं के विभाजन पर रोक के कारण ऐसे रिट याचिकाएं, जिनमें आपराधिक पहलू स्पष्ट हो रहे होते हैं, परंतु सिविल रिट की तरह दायर किया गया है, ऐसे मामलों में अदालत किस प्रकार से आदेश पारित करे? इस प्रश्न को संबोधित करते हुए न्यायाधीश समीर जैन ने पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल को मामले के पूर्ण निस्तारण के लिए ''रैफरैंस'' (निर्देश) के लिए भेज दिया था। इन मामलों पर मुख्य न्यायाधीश का फैसला भी लंबित है।

न्यायाधीश समीर जैन ने आपराधिक मामलों की पृष्ठभूमि रखने वाले मामलों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था, जब तक मुख्य न्यायाधीश के कोई निर्देश नहीं आ जाते। ऐसे में कई याचिकाकर्ता अदालत से रिट याचिका में मांगी गई पुलिस सुरक्षा से वंचित ही रह गये। उदाहरण के लिए ऐसे मामले जिनमें जोड़ों ने अंतर्जातीय या अंतरधार्मिक विवाह किया हो, ऐसे शादीशुदा जोड़ों को उनके ही परिवारजनों से अदालती सुरक्षा मुहैया कराये जाने के मामलों पर सुनवाई नहीं हो रही थी। परंतु नवरात्रों की छुट्टी शुरू होने से पूर्व हाईकोर्ट के आखरी कार्यदिवस पर न्यायाधीश रवि चिराणिया ने ऐसे ही एक मामले में याचिकाकर्ता महिला के पक्ष में फैसला देते हुए आदेश दिये हैं कि उक्त महिला, जो पूर्व में जयपुर की निवासी थी, वह अपने परिवारजनों से सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखे और जयपुर पुलिस कमिश्नर मामले की तहकीकात करके याचिकाकर्ता महिला को पुलिस सुरक्षा मुहैया करायें। इस मामले में याचिकाकर्ता का नाम, उनकी सुरक्षा व मान-सम्मान को देखते हुए छिपाया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ध्रुव टेलर पैरवी के लिए पेश हुए थे।

ज्ञात रहे कि रिट याचिका ऐसी याचिका होती है जिसमें अदालत याचिकाकर्ता के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए किसी भी सरकारी विभाग या मंत्रालय को कई तरह के आदेश देता है। जिससे सरकारी एजेंसियों/अधिकारियों या विभाग (1) कोई अवांछित कार्य न करे, (2) ऐसे कार्य न करें जो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर हो, (3) याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने के लिए सरकार या सरकारी विभाग अपना दायित्व पूरा करें, (4) किसी निचली अदालत या न्यायाधीकरण के असंवैधानिक फैसले को रद्द करें, या (5) असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करे गये व्यक्ति को अदालत में पेश करे। हालांकि संविधान में रिटों को सिविल या क्रिमिनल मामलों में विभाजित नहीं किया गया है परंतु हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों के विभाजन के लिए नियम व कायदे बनाये गय हैं। ज्ञात रहे कि रिट याचिकाओं के माध्यम से अदालत सरकारी अफसरों को उनका दायित्व निभाने के आदेश देती है, चाहे वह मामला सिविल पृष्ठभूमि का हो या क्रिमिनल। किसी भी मामले में किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जांच करने के अदालती आदेश पारित करने के लिए भी रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं, इस तथ्य से फर्क नहीं पड़ता कि मामला सिविल है या क्रिमिनल।

परंतु आपराधिक मामलों की जांच में दायर एफ आई आर को बंद करने के लिए अधिकतर पुलिस यह दलील देती है कि मामला सिविल पृष्ठभूमि का है और इस में अपराध सिद्ध नहीं किए जा सकते।

उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा के नेतृत्व में जोधपुर में दो अलग-अलग खण्डपीठों ने ऐसे आदेश पारित किये थे जिनमें कहा गया था कि रिट याचिकाओं का विभाजन करने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व कार्यकारी न्यायाधीश एसपी शर्मा और न्यायाधीश मनीष शर्मा ने पहले जिया बनाम राजस्थान सरकार के मामले में यह आदेश दिया, और फिर मेघराज सिंह बनाम डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समैंट मामले में यही फैसला दोहराया। उल्लेखनीय है कि मेघराज सिंह की ओर से जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ एक आपराधिक मामले की जांच पर स्थगन लगाने का आवेदन किया गया था, जिसमें अदालत ने 457 दिनों का विलंब को क्षमा कर दिया था। इसी मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर अदालत के अपने नियम कायदे हैं और कई बार सुप्रीम कोर्ट भी अपने नियमों का उल्लंघन करती है

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **जैसा कि विदित है, पूर्ववती कार्यकारी न्यायाधीश एसपी शर्मा के नेतृत्व में ऐसे कई निर्देश पारित हुए थे जिनसे ''रिट'' याचिकाओं को दीवानी मुकदमा (सिविल पिटिशन) या आपराधिक मामले (क्रिमिनल पिटिशन) में बांटने की प्रथा खत्म कर दी थी। परंतु, ऐसी कई सिविल रिट याचिकाएं जिनमें आपराधिक पृष्ठभूमि स्पष्ट थी, और पुलिस सुरक्षा मांगी गई थी, उनको राहत नहीं मिल रही थी।**
- **उदाहरण के लिए, अंतर्जातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले शादीशुदा जोड़ों को उनके ही परिवारजनों से अदालती सुरक्षा मुहैया कराये जाने के मामलों पर सुनवाई नहीं हो रही थी। परंतु रवि चिरानिया के फैसले ने इन याचिकाकर्ताओं के लिए राहत का दरवाजा खोला है।**

तमिलनाडु में 100 करोड़ रूपए की क्रिस्टल मेथामफेटामाइन पकड़ी

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के तटीय गांव से 137 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन जब्त कर मादक पदार्थों की तस्करी के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जब्त खेप का अवैध बाजार में अनुमानित मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, डीआरआई ने विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर 16 और 17 अक्टूबर को निगरानी और तलाशी अभियान चलाया। जांच में आशंका सामने आई कि मादक पदार्थों की इस खेप को समुद्र के बीच हस्तांतरण के जरिए श्रीलंका पहुंचाया जाना था।

तलाशी के दौरान छह बड़े बैग मिले, जिनमें सिल्वर फॉयल में लिपटे 27 पैकेट रखे थे। प्रत्येक पैकेट का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **डीआरआई की कार्यवाही से तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ।**